

निजी कम्पनियों की तिजोड़ी भरने के लिए तेल का खेल

केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाकर आम आदमी को मानो घायल कर दिया है। लगता है कि, मनमोहन सिंह सरकार की आम जनता एवं मजदूरों के प्रति जिम्मेदारी या जवाब देही बची ही नहीं है।

ध्यान देने की बात है कि, 5 विधान सभाओं के चुनाव सम्पन्न होने के बाद मई में पेट्रोल के दामों में रु. 5/- प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई थी। अब डीजल के दामों में रु. 3/- प्रति लीटर, मिट्टी के तेल में रु. 2/- प्रति लीटर तथा खाना पकाने की गैस के 14 किलो के सिलेण्डर पर रु. 50/- प्रति सिलेण्डर की वृद्धि करके जनता के जीवन स्तर पर अपराधाना हमला किया गया है। इस हमले का पूरी ताकत के साथ मुकाबला होना चाहिए।

इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि, जून 2010 में केन्द्र सरकार ने पेट्रोल को सरकारी नियंत्रण से अलग कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि, तेल का व्यापार करने वाली कम्पनियों को यह खुली छूट दे दी गई है कि, वे हर 15 दिन में अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर सकती हैं। डीजल, मिट्टी का तेल और खाना पकाने की गैस की

कीमतों का मामला अभी सरकारी नियंत्रण में है। किन्तु तेल का व्यापार करने वाली कम्पनियां, विशेष रूप से रिलाइन्स तथा इसार जैसी निजी कम्पनियां, केन्द्र सरकार पर दबाव डालकर डीजल, मिट्टी का तेल और खाना पकाने वाली गैस के दाम भी बढ़वाती जाएंगी। वैसे इन कम्पनियों के प्रयास तो ये हैं कि, सभी पेट्रोलियम पदार्थों के दामों से सरकारी नियंत्रण समाप्त कर दिया जावे तथा मजदूरों सहित आम जनता को तेल का व्यापार करने वाली कम्पनियों के रहमों करम पर छोड़ दिया जावे।

डीजल, मिट्टी का तेल और खाना पकाने की गैस के दामों में वृद्धि करते हुए सरकार ने कहा है कि वह अभी भी डीजल पर रु. 15.44, मिट्टी के तेल पर रु. 27.47 तथा खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर पर रु. 381.14 की अनुदान राशि (सब्सिडी) दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि एक लीटर डीजल तैयार करने में रु. 60.44, एक लीटर मिट्टी का तेल तैयार करने में 43.06 तथा 14 किलो की गैस के एक सिलेण्डर पर रु. 830.14 का खर्च आता है। सरकार का यह दावा सरासर झूठा ही नहीं बल्कि जनता की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झाँकने के समान है। अफसोस की